मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर

// विज्ञप्ति //

क्रमांक– 73/II-9

इन्दौर, दिनांक 22.05.2021

आयोग के संज्ञान में आया है कि कतिपय व्हाट्सअप ग्रुप एवं सोशल मीडिया पर एक भ्रामक एवं मिथ्यापूर्ण विज्ञप्ति प्रचारित की जा रही है। जिसमें राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तिथि को लेकर गलत व भ्रामक बातें लिखी गई हैं।

आयोग द्वारा दिनांक 20.06.2021 को प्रस्तावित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि बदलने के बारे में कोई निर्णय आज दिनांक तक नहीं लिया गया है। भ्रामक एवं मिथ्यापूर्ण विज्ञप्ति को जारी करने वाले व्यक्ति के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । यदि आयोग के संज्ञान में यह पाया जाता है कि यह कृत्य आयोग व्दारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले आवेदक या आवेदकों व्दारा किया जा रहा है तो संबंधित आवेदक/आवेदकों को आयोग व्दारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने से विवर्जित किया जाएगा।

अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट पर अधिकृत सूचनाओं को समय–समय पर देखते रहें। सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से जारी होने वाले भ्रामक एवं मिथ्या तथ्यों पर ध्यान न दें।

अभ्यर्थियों के संज्ञान में भ्रामक सूचना/तथ्य यदि आते हैं तो तत्काल आयोग की मेल आई.डी. पर सूचित करने का कष्ट करें।

22/5/2021

परीक्षा नियंत्रक